न्यायालय श्री रणसिंह, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

राजस्व वाद सं0 — 241 / 2015

1. श्रीमति भिरावा बाई पत्नी श्री जल्लूराम
2. ओमप्रकाश 3. सुभाषचन्द 4. परमेश्वरी बाई उर्फ रानी बाई पि0 जल्लूराम पुत्र नानकराम जाति कम्बोज निवासी ग्राम लाली तहसील रतिया जिला फतेहाबाद
5. बूटाराम पुत्र जल्लूराम जाति कम्बोज निवासी ग्राम लाली तहसील रतिया जिला फतेहाबाद

बनाम ———वादीगण

1. देशराज पुत्र भागचंद जाति कम्बोज निवासी सलेमषहर तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का
2. विश्वजीत पुत्र सन्तलाल जाति कम्बोज निवासी गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. कोलायत

———प्रतिवादीगण

वाद बाबत धोषणात्मक, इन्द्राज दुरूस्ती व चिर निषेधाज्ञा अन्तगर्त धारा 88,188 आर.टी.एक्ट व सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री रामचन्द्र सिहं भाटी अभिभाषक वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थित
3. श्री राजेन्द्र गहलोत अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2
4. पैरोकार राज राज्य की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक :— 28.04.2016

विचाराधीन वाद 06.08.2014 को न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर के अदालत में प्रस्तुत हुवा और स्थानान्तरण के उपरान्त इस न्यायालय में अंतरित होकर दिनांक 17.12.2015 को वास्ते सुनवाई एंव निस्तारणार्थ नियत हुवा।

2. संक्षेप में प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 4 ने यह वाद यह वाद—पत्र बहैसियत खुद व वादी संख्या 1 ता 4 के मु0आम0 की हैसियत से प्रतिवादीगण के विरूद्व बाबत इस्तकरारहक, हुक्म इब्तनाई अवामी एंव रिकार्ड

Scanned by CamScanner

दुरूस्ती अन्तगर्त धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 171 जिसका क्षैत्रफल 316 बीघा 4 बिस्वां जो ग्राम खारी चारनान तहसील कोलायत में स्थित है, में से 66 बीघा 4 बिस्वां इसके पूर्व खातेदारान विजयदान, राधाकिसन पुत्रगण सांवतदान तथा मु0 मीरां सेवा दुरजनदान, मु0 हंसा बेवा नत्थूदान व मु0 एमी बेवा डूंगरदान कौम चारण निवासी खारी चारनान ने वादीनी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 ता 5 के पिता जल्लूराम पुत्र नानकराम कौम कम्बोज निवासी मोजम तहसील फाजिल्का को 1/3 हिस्सा यानि 22 बीघा 2 बिस्वां व देशराज पुत्र भागचंद कौम कम्बोज निवासी सलेमशहर तहसील फिरोजपुर को 2/3 हिस्सा यानि 44 बीघा 2 बिस्वां जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 05.12.1959 को विक्रय कर दिया तथा कब्जा भूमि खरीददारो को संभलवा दिया तथा तभी से अपनी खरीदशुदा भूमि 22 बीघा 2 बिस्वां भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है। इस खरीद के आधार पर जल्लूराम पुत्र नानकराम 1/3 हिस्सा व देशराज पुत्र भागचंद 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुवा । प्रतिवादी संख्या 1 देशराज ने अपना 2/3 हिस्सा जरिये पंजिबद्व बैयनामा दिनांक 12.04.1977 कोटचन्द पुत्र पहलवानराम व सदा बाई जोजे कोटचन्द कौम कम्बोज निवासी 55 एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर को बैय कर दिया और खरीद के आधार पर इन्तकाल संख्या 398 उक्त दोनों केताओं के नाम 2/3 हिस्से की भूमि बाबत दर्ज हो गया लेकिन आगे बनने वाले राजस्व रिकार्ड में जो 1/3 हिस्से का अर्थात 22 बीघा 2 बिस्वां का मालिक खातेदार जल्लूराम की भूमि 2/3 हिस्से बाबत पुनः नाम देशराज का गलत तौर पर दर्ज कर दिया और इस गलत प्रविष्टि की आड में देशराज ने बिना किसी अधिकार के जल्लूराम की 22 बीघा 2 बिस्वां भूमि में अपना 2/3 हिस्सा अर्थात 14 बीघा 13 बिस्वां भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 विश्वजीत पुत्र संतलाल को विक्रय कर दिया और इस बैयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 1490 दिनांक 14.06.14 को स्वीकृत किया गया। जल्लूराम का 20 वर्ष पहले देहान्त हो चुका है। वादीगण ही उत्तराधिकारी है तथा काबिज चले आ रहे है। वादीगण का यह भी अभिकथन है कि इस गलत प्रविष्टि की आड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित भूमि से वादीगण को बेदखल करने एंव नाजायज रूप से काबिज होने पर आमदा एंव है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में जिस बैयनामा से अन्तरण किया है वो बैयनामा ही प्रभावहीन,शून्य प्रमाण रखने वाला एंव अकृत है तथा जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 को कोई अधिकार खातेदारी के विवादित भूमि में निहीत नहीं हो सकते। अतः वादीगण ने विवादित भूमि पर स्वंय को खातेदार काश्तकार धोषित करने एंव हुक्म इब्तनाई अवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द करने हेतू दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री करने का निवेदन किया।

3. इस वाद के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम बुदायलात बिनावत कायमी तनकियात दिलाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हाजिर अदालत होकर वादीगण के वाद–पत्र को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और इस आशय का जवाब दावा न्यायालय में पेश किया।

4. चूंकि प्रकरण में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य खातेदारी अधिकारों को लेकर कोई तनाजा नहीं रहा और वे वादीगण के पक्ष में डिक्री देने का जवाब दावा

Scanned by CamScanner

पेश किया है। इस दृष्टि से प्रकरण का इसी स्टेज पर पेश शुदा अभिलेख के आधार पर निस्तारण किया जाने हेतू उभय पक्ष के कथनों को सुना गया एंव पत्रावली को बगौर देखा गया।

5. पक्षकारान द्वारा किये गये अभिवचनों एंव पेश शुदा राजस्व रिकार्ड की नकलों एंव विवादित भूमि के संबंध में हुवे बैयनामों की प्रतियां जो पत्रावली पर प्रस्तुत हुवे है, के अवलोकन से यह तो निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ में विजयदान,राधाकिसन पुत्रगण सांवतदान व मु0 मीरां बेवाह दुरजनदान तथा मु0 हंसा बेवा नत्थूदान व मु0 एमी बेवा डूंगरदान जाति चारण निवासी खारी चारनान तहसील कोलायत के मुस्तरका खाते की कृषि भूमि थी जिस पर वे संयुक्त रूप से काबिज काश्तकार थे। उक्त खातेदारान ने अपने खाते के खसरा नंबर धार पर 171 तादादी 316 बीघा 4 बिस्वां में से 66 बीघा 4 बिस्वां जिसमें 1/3 हिस्सा जल्लूराम पुत्र नानकराम 2/3 हिस्सा देशराज पुत्र भागचन्द को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.12.1959 को विक्रय कर दिया और कब्जा भूमि के क्रेताओं को सम्भलवा दिया। इस खरीद के माध्यम से जल्लूराम व देशराज विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये। देशराज द्वारा अपना 2/3 हिस्सा अर्थात 44 बीघा 2 बिस्वां कोटचन्द व उसकी पत्नी सदा बाई को पंजिबद्व बैयनामा दिनांक 12.04.1977 से विक्रय करना भी विवादित नहीं है। विवाद यह है कि देशराज ने अपना हिस्सा बैय करने के उपरान्त भी जल्लूराम की जमीन में अपना 2/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया और तदुपरान्त बेचान भी पंजिबद्व बैयनामा दिनांक 29.05.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में कर दिया। लेकिन अब यह विवाद भी पक्षकारान के मध्य नहीं रहा है क्योंकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को सम्यक रूप से स्वीकार कर लिया है।

6. न्यायालय को अब यही देखना है कि आया देशराज द्वारा पंजिकृत बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 विश्वजीत के हक में किये गये बैचवान के होते हुवे भी उसके खाते से हटा कर भूमि वादीगण के खातेद दर्ज की जा सकती है ? इस संबंध में दौराने बहस योग्य अधिवक्ता वादीगण ने हमारे समक्ष नजीर 2012 (2) आर0एल0डब्लू0 पृष्ठ 896 पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 विजयसिह और अन्य विरूद्व बुध व अन्य का निर्णय दृष्टान्त पेश किया जिसे हमने ससम्मान पूर्वक पढा है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि खातेदारी अधिकारों की धोषणा का अनुतोष राजस्व अदालत देने में सक्षम फोर्म है साथ ही अनुषंगिक अनुतोष जिसके द्वारा विक्रय विलेख को निरस्तीकरण किया जाना है जिसमें बैयनामा प्रारम्भ से ही Ab-Initio Void है तथा अकृत है, दिया जा सकता है। जब हम देशरराज द्वारा किये गये बैयनामा के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करते है तो हमारे समक्ष यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि देशराज द्वारा विवादित भूमि के संबंध में किया गया विक्रय पत्र शून्य एंव अकृत है जिसे सिविल अदालत में ले जाकर केन्सिल करवाने की कोई आवश्यकता कानूनन नहीं है। इसे हम गौर करते हुवे विवादित भूमि का खातेदार जल्लूराम पुत्र नानकराम कम्बोज पंजिकृत बैयनामा के आधार पर सन 1959 में ही बन गया तो उसका तन्हा मालिक व खातेदार काबिज काश्तकार वो ही हो गया तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान वादीगण हो गये। उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य बनता है तथा डिक्री वादीगण के पक्ष में दी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है।

Scanned by CamScanner

परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत खातेदारी अधिकारों की धोषणा, हुक्म इब्तनाई दीवानी एंव इन्द्राज दुरूस्ती का डिकी किया जाता है कि ग्राम खारी चारनान तहसील कोलायत के खेत खसरा नंबर 171/1/2 तादादी 22 बीधा 2 बिस्वां भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है जिसकी धोषणा उनके हक में की जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार कोलायत निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन की प्रविष्टि करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

( रण सिंह )
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत (कोलायत) बीकानेर

Scanned by CamScanner